(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद देश में आतंकी गतिविधियां जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भविष्य में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान आतंकी घटनाओं और उनमें हताहतों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) गत दो वर्षों के दौरान लाभार्थी पीड़ितों की सूची और प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) और (ख): मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले (26.11.2008) के पश्चात, सरकार ने हमलों को नाकाम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसके परिणामस्वरूप, अंत:प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में कमी आयी है और उत्तर के अनुलग्नक में इसके ब्यौरे दिए गए हैं।**

**(ग) : सरकार आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इसका कोई भी कारण, यथार्थ अथवा काल्पनिक, आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। उग्रवाद और आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यम में सी आई एस एफ की तैनाती करने के लिए सी आई एस एफ अधिनियम में संशोधन; चेन्‍नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन एस जी हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एन एस जी के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन एस जी को शक्तियां प्रदान करना, बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्‍त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना को सही समय पर एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घण्टे निगरानी और गश्त लगा करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन;**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-2280**

**प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी वाले निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।**

**धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।**

**इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्वि-पक्षीय मंचों के साथ-साथ बहुस्तरीय, द्विपक्षीय परिसंवादों में सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं और इसके वित्तपोषण के मुद्दों को उठाती रहती है।**

**(घ) और (ड.) : विगत दो वर्षों के दौरान अंत:प्रदेश में हुई आतंकवादी घटनाओं की संख्या और हताहतों की कुल संख्या तथा पीड़ित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजा के ब्यौरे अनुलग्नक-। में दिए गए हैं।**

**अनुलग्नक- I**

**दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2280 के उत्तर में अनुलग्नक**

**अन्त:प्रदेश में हुई आतंकवादी घटनाएं, हताहतों की संख्या तथा पीड़ित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजा के ब्यौरे**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **घटनाएं** | **मारे गए व्यक्ति** | **घायल व्यक्ति** | **पीड़ित व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा** | |
| **मृतक (निकटतम संबंधी) को दिया गया मुआवजा**  **( लाख रूपए में)** | **घायल व्यक्ति को दिया गया मुआवजा**  **(लाख रूपए में )** |
| **1.** | 13.02.2010 **: जर्मन बेकरी, पुणे में बम धमाका** | 17 | 55 | 85.00 | 22.00 |
| **2.** | 29.03.2010  **महरौली, नई दिल्ली में बम धमाका** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |
| **3.** | 17.04.2010 :  **एम सी चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, बंगलौर में बम धमाका** | **शून्य** | 17 | **शून्य** | 3.90 |
| **4.** | 19.09.2010 :  **जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट गोलीबारी और बम धमाका** | **शून्य** | **गोलाबारी की** 2 **घटनाएं** | **शून्य** | **शून्य** |
| **5.** | 07.12.2010 **:**  **शीतलाघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बम धमाका** | 2 | 37 | 2.00 | 11.75 |
| **6.** | 25.05.2011 :  **दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर स्थित पार्किंग स्थान में बम धमाका** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |
| **7.** | 13.07.2011 :  **मुम्बई में सिलसिलेवार बम धमाका** | 27 | 127 | 75.00 | 47.30 |
| **8.** | 7.09.2011 :  **दिल्ली उच्च न्यायालय में बम धमाका** | 15 | 66 | 134.00 | 149.80 |
| **9.** | 13.02.2012 :  **इजराइल दूतावास की कार में विस्फोट** | **शून्य** | 4 | **शून्य** | **शून्य** |